संख्या– / XVIII(II) / 2020–03(11) / 2014

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांक** 04 ~~जुलाई, 2020~~ अगस्त, 2020

विषयः–देहरादून में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के आर0ए0एफ, रेंज–3 की स्थापना हेतु 0.8100 है0 भूमि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत सरकार को सःशुल्क पट्टे पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1181 / 12ए–147 (2017–2020) डी0एल0आर0सी0, दिनांक 09 जुलाई, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा देहरादून में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के आर0ए0एफ0 रेंज–3 की स्थापना हेतु ग्राम शीशमबाड़ा, परगना–पछवादून, तहसील–विकासनगर के खाता संख्या–509 खसरा नम्बर 36ख का रकबा 23.4060 है0, श्रेणी–5(1) नई परती (परती जरीद) के रूप में अभिलेखों में अंकित है। जिसमें से 22.1666 है0 रकबा पूर्व में ही आवंटित हो चुका है। तत्पश्चात 1.2394 है0 भूमि शेष बचती है। उक्त भूमि में से 0.4294 है0 भूमि रास्ते के रूप में वर्तमान समय में उपयोग में लाई जा रही है तथा 0.8100 है0 भूमि स्थल पर खाली है, जो कि आवंटन योग्य है, को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत सरकार के पक्ष में सःशुल्क पट्टे पर आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि देहरादून में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के आर0ए0एफ0 रेंज–3 की स्थापना हेतु ग्राम शीशमबाड़ा, परगना–पछवादून, तहसील–विकासनगर के खाता संख्या–509 खसरा नम्बर 36ख का रकबा 23.4060 है0, श्रेणी–5(1) नई परती (परती जरीद) के रूप में अभिलेखों में अंकित है। जिसमें से 22.1666 है0 रकबा पूर्व में ही आवंटित हो चुका है, तत्पश्चात 1.2394 है0 भूमि शेष बचती है। उक्त भूमि में से 0.4294 है0 भूमि रास्ते के रूप में वर्तमान समय में उपयोग में लाई जा रही है तथा 0.8100 है0 भूमि स्थल पर खाली है, जो कि आवंटन योग्य है, को शासनादेश सं0–258 / 16(1) / 73–राजस्व–1, दिनांक 09–05–1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या–1695 / 97–1–1(60) / 93–280–रा0–1, दिनांक–12–09–1997 तथा शासनादेश संख्या–1115 / XVII(II) / 2016–18(184) / 2015 दिनांक 15 जून, 2016 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि का नजराना वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार 29500000 रू0 प्रति है0 की दर से मूल्यांकन 0.8100X29500000= 2,38,95,000 रू0 (दो करोड़ अड़तीस लाख पिचानवे हजार रू0) व

.....2

परतारेट से लगान 17.82 पैसे X 100 अर्थात 1782 रू0 (सत्रह सौ बयासी रू0) वार्षिक किराया एकमुश्त जमा किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत सरकार के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सःशुल्क पट्टे पर आवंटन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगें। तद्नुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।

2– प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि0–9.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

4– इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

6– प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7– प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)– रा–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

8– प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

9– यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

10– भू–उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के कम में शासन/ जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

11– संस्था द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

.....3

12– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 11 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या–488/XVIII(II)/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– पुलिस महानिरीक्षक, देहरादून सेक्टर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, यू0सी0एफ0 सदन, दीपनगर रोड़, अजबपुर कलां, देहरादून।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।